न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

इजराय वाद सं0–16/2019

सीआईएस 16/2019

31-07-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। डिक्री धारी तथा जजमेंट डेब्टर सं0–2, 5, 7, 10 व 11 एवं जजमेंट डेब्टर सं0– 3 व 4 की ओर से हाजिरी दी गई। जजमेंट डेटर सं0–2, 5, 7, 10 एवं 11 के द्वारा आवेदन दिनांक–14.06.2023 दाखिल किया गया तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद में उपरोक्त जजमेंट डेटर के उपस्थिति के ठीक पूर्व आदेश दिनांक–11.04.2023 के माध्यम से जजमेंट डेब्टर सं0–2, 5, 7, 10 एवं 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही शुरू कर दी गई। वाद की जानकारी होने के पश्चात् उपरोक्त जजमेंट डेब्टर दिनांक–22.05.2023 को स्वतः उपस्थित हुए, ततपश्चात् उन्हें एकपक्षीय कार्यवाही हेतु आदेश दिनांक–11.04.2023 के संबंध में जानकारी हुई। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिनांक–11.04.23 को रिकॉल करने की कृपा की जाय।

डिक्री होल्डर अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से अभिकथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद डिक्री होल्डर द्वारा स्वत्व वाद सं0–46/06 में डिक्री के निष्पादन के लिए लाया गया है। उपरोक्त जे.डी.गण को प्रस्तुत इजराय वाद की पूर्ण जानकारी थी और जैसे ही न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–11.04.23 के माध्यम से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई, उनके द्वारा प्रस्तुत वाद में उपस्थित होकर आदेश दिनांक–11.04.23 को रिकॉल करने हेतु आवेदन दिनांक–14.06.23 दी गई, और जे.डी.गण के विलंब करने की इसी आदत के कारण डिक्री होल्डर को समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन कराने में रु0 5,000/– खर्च करना पड़ा। प्रस्तुत सम्पूर्ण आवेदन 14.06.2023 उपरोक्त तथ्यों के विपरीत है। अतः जजमेंट डेटर सं0–2, 3, 7, 10 एवं 11 के आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया एवं अवलोकन व परिशीलन से ज्ञात होता है कि दिनांक–11.04.23 को जजमेंट डेब्टर सं0–2, 5, 7, 10 व 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया है, तत्पश्चात् 22.05.23 को उपरोक्त जे.डी.गण न्यायालय में उपस्थित हुए एवं एकपक्षीय कार्यवाही से अवगत हुए एवं न्यायालय के द्वारा कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोतक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से दिनांक–11.04.23 के आदेश को रिकॉल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः जे.डी. सं0–2, 5, 7, 10 एवं 11 के आवेदन को न्यायहित में रु0 2,500/– खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है। वाद वास्ते दि0–04.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी